न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी   राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का परबतसर

बनाम

अप्रार्थी :– श्री सुमेरदान पुत्र रामचन्द्रदान जाति चारण निवासी रामपुरा बासंड़ा

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 91 / 17

निर्णय दिनांक   27 / 11 / 2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का किनसरिया ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद परबतसर के खसरा नम्बर 106किस्म गै.मु.बाला में रकबा 0.10है. भूमि में खेत में मिलाकर कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीया स्वंय से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी उपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मौजा रामपुरा बासंड़ा के खसरा नम्बर 106किस्म गै.मु.बाला में रकबा 0.10 है भूमि पर अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति है. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.10 है. भूमि के 1 रूपये गुणांक में लगान का 50 गुणा 50/– अक्षरे पचास रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

17-18 ... 3

50/-

तहसीलदार परबतसर